पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

समोता

पंचायत- कोलखंडा खास

तहसील- दोवड़ा

जिला- डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

समोता गाँव का परिचय

समोता गाँव कोलखंडा खास ग्राम पंचायत का एक राजस्व गाँव है । गाँव डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा की ओर स्थित है । समोता गाँव की सीमा के उत्तर में भागेला और हड़मतिया, पूर्व में जोगीवाड़ा, पश्चिम में घटियाघरा और रामा, दक्षिण में समोता का ओड़ा गाँव है ।

राजस्व गाँव समोता में पांच फले है -

1. घाटी फला
2. माता फला
3. बीडा फला
4. नई बस्ती
5. वचला फला

समोता गाँव में 09 जुलाई, 2018 को शिलालेख हुआ उसी दिन गाँव सभा और शांति समिति का गठन कर दिया गया । गाँव में करीब 100 घर है जिनकी आबादी करीब 600 है। गाँव के लोग दूर-दूर बसे हुए है, लोग छोटे-2 समूहों में अपने खेतों के पास पहाड़ियों में रहते है। जहां आने जाने के लिये 2 पक्की, 4 सी.सी. सड़के और 3 कच्ची सड़के है । गाँव में केवल एस.टी. जाति के लोग रहते है, जिनकी उपजातियां "परमार व रोत" है । गाँव के ज्यादातर लोगों को राजस्थान सरकार के पेसा कानून के नियमों की जानकारी है । हर माह निश्चित तारीख को गाँव सभा की बैठक की जाती है । जिसमे गाँव की समस्याओं तथा आपसी मुद्दों को सुलझाया जाता है- जैसे परिवार में जमीन का झगड़ा या किसी फले की बात को लेकर ।

गाँव की कृषि जमीन 300.17 बीघा, बेनामी जमीन 67.13 बीघा, चारागाह और जंगल की जमीन 58 बीघा शामिल है । गाँव के जंगल की जमीन उत्तर दिशा में है इस पर लोगो ने कब्ज़ा कर रखा है और सामुदायिक वन दावा फाइल लगा रखी है । गाँव की बिलानाम और चारागाह जमीन सरकार के कब्जे में है । गाँव के 6 लोग सरकारी विभागों में सेवारत है । पशु अस्पताल और पोस्ट ऑफिस पुनाली गाँव में है जो 10 किमी दूर है, सरकारी अस्पताल के लिए 36 किमी दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है ।

आवागमन की स्थिति

समोता गाँव जाने के लिए पुनाली रोड़ तक रोडवेज बस और ऑटो, जीप की सुविधा है पुनाली मोड़ से 9 किमी का रास्ता ऑटो और जीप से समोता गाँव तक तय करना पड़ता है । समोता गाँव में दो सड़के पक्की डामरीकृत है, लेकिन 1 टूटी हुयी है । एक पक्की सड़क गाँव के भीतर से होती हुई रामा गाँव में जाती है और दूसरी पक्की सड़क गाँव के तीन फलों को जोड़ती हुई रामा गाँव में जाती है । इसके अलावा 4 सी.सी. सड़के है दो माताजी फला में और एक-एक घाटी फला और वचला फला के घरों तक पहुँच बनाती है । इसके अलावा गाँव के भीतर के पहाड़ी फलों में जाने के लिए 3 कच्ची सड़के है। गाँव में दो बस स्टैंड है लेकिन प्रतिक्षालय भवन नहीं है । यहाँ से प्राइवेट बस, ऑटो दूसरे गाँवो में जाने के लिए मिल जाते है । लेकिन गाँव के फलों में केवल नीजी वाहन जैसे मोटर साइकिल या पैदल जाया जाता है। खरीदारी के लिए मुख्य बाजार पुनाली 9 किमी और डूंगरपुर 36 किमी दूर है, जहां पर सभी प्रकार की घरेलू खरीदारी के अलावा शादी-ब्याह और त्यौहारों की खरीदारी की जाती है।

स्वास्थय व शिक्षा

गाँव में छोटे बच्चों के खेलने और आहार - अक्षर ज्ञान के लिए कोई आंगनवाड़ी नहीं है । गाँव में एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है, जो वाचला फला में है यहाँ एक स्टाफ है यहाँ दवा मिल जाती है । बड़ा सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 36 किमी दूर डूंगरपुर में है। गंभीर मरीजों कों उदयपुर के सरकारी अस्पताल में रेफ़र किया जाता है ।

गाँव में दो प्राथमिक विद्यालय है एक बीड़ा फला में और दूसरा घाटी फला में है । दोनों विद्यालयों में इस शैक्षणिक वर्ष (2018) में 85 छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है । प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो गया है । प्राथमिक स्कूल में छत की मरम्मत, अध्यापकों की कमी, खेल के मैदान की बाउन्ड्री टूटी हुई है तथा शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है । बच्चों के पीने के लिए साफ पानी हेतु आर.ओ. नहीं लगा है गाँव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है । उच्च शिक्षा के लिए 36 किमी दूर डूंगरपुर कॉलेज जाना पड़ता है ।

सरकारी योजनाएँ

गाँव के सभी घरों में बिजली है। गाँव में लगभग 70 प्रतिशत घरों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत चूल्हा और गैस सिलेन्डर उपलब्ध करा दिया गया है। गाँव में 30 पेंशनधारी है, जिनमें 12 महिलायें तथा 10 पुरूषों को वृद्धावस्था पेंशन और 08 महिलाओं को विधवा पेंशन मिलती है तथा गाँव में 86 परिवारों को आवास योजना का लाभ मिला है, जिसमें से 12 इंदिरा आवास, 04 प्रधानमंत्री आवास और 70 मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी है।

कृषि और रोजगार की स्थिति

गाँव में कृषि की जमीन 300.17 बीघा है । अधिकतर कृषि जमीन पहाड़ी, उबड़-खाबड़ और पथरीली है, समतल खेती की जमीन नहीं के बराबर है खेती में गेंहू, मक्का, उडद, मूंग और चना उगाया जाता है । लेकिन यह केवल चार या पांच माह खाने तक का ही हो पाता है। फिर बाजार से या राशन की दुकान से खरीदकर लाना पड़ता है ।

अन्य गाँवों की ही तरह यहाँ की भी रोजगार की स्थिति खराब है । यहाँ भी रोजगार का मुख्य साधन मनरेगा है । मनरेगा में काम के साथ लोग खेती और कड़ीया मजदूरी करते है । नरेगा में गाँव की ज्यादातर महिलाये जाती है क्योंकि गाँव के पुरुष काम की तलाश में शहर जाते है । काम की तलाश में लोग सुबह जल्दी शहर की मजदूर मंडी में पहुँच जाते है जहाँ से उन्हें कड़ीया काम मिल जाता है लेकिन रोज काम मिल जायेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है । अक्सर उन्हें कोई काम नहीं मिलता है और खाली जेब वापिस घर लौटना पड़ता है । अधिकतर शिक्षित लोग बेरोजगारी से बचने और बेहतर आजीविका के लिए काम की तलाश में दूसरे शहरों में जाते है, जहाँ उन्हें कड़ीया काम, मकान बनाने के लिए मिस्त्री-कारीगर, फैक्ट्री में मशीन चलाने का काम मिल जाता है । मनरेगा योजना में 100 दिन काम भी नहीं मिलता है, काम की पूरी नपती नहीं होती है तथा मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होता है । इसका जवाब मांगने पर बैंक के खातो का स्थानान्तरण हो जाने के बारे में कह कर टाल दिया जाता है ।

सिंचाई के पानी की स्थिति

गाँव में पीने के पानी और सिंचाई के पानी का संकट है सिंचाई के लिए पानी बारिश के बाद दो माह के लिए ही मिल पाता है। क्योंकि भूमिगत जलस्तर 200 फीट नीचे चला गया है और सतही जल संसाधन भी तेज गर्मी में जल्दी सूख जाते है। हालांकि पशुओ के पानी और सिंचाई की सुविधा के लिए 1 नाला है जिस पर 3 एनिकट बने है। बीड़ा फला में जंगल के पास 1 तालाब है, 16 कुएं है लेकिन मध्य ग्रीष्म ऋतु में सभी जल स्रोतों में पानी कम हो जाता है या अधिकतर सूख जाते है, भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है कि बारिश के 2 माह बाद किसी भी कुए में पानी नहीं रहता है। जिससे उन लोगों को समस्या हो जाती जिनके पास बोरवेल की सुविधा नहीं है। 12 कुएं बरसात के बाद हमेशा सूखे ही रहते है। एनिकट जर्जर हो गये है और मिट्टी भर गयी है। दरारों से पानी रिसकर निकल जाता है।

समोता गाँव की चिन्हित समस्याओं का विवरण

भूमि व जल प्रबंधन की कमी

गाँव में ज्यादातर व्यक्तियों को उनके कब्जे की जमीन के व्यक्तिगत पट्टे नहीं मिले है। छोटी-छोटी डुंगरियों पर लोगो ने अपना घर बना लिया है और खेत काट कर कब्ज़ा कर लिया है। गाँव में जिन लोगों के पास खातेदारी हक है वो न्यूनतम दो बीघा और अधिकतम पांच बीघा भूमि का है। आबादी बढ़ने से भी जोत कम हो रही है। ज्यादातर खेत पहाड़ियों पर बने है जिस कारण उबड़-खाबड़ और पथरीले है, उन्हें समतलीकरण की आवश्यकता है। खेतों में सिंचाई के पानी का संकट रहता है जिस कारण खाने के लिए अनाज का उत्पादन पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर है। गाँव के तालाब, एनिकट जल्दी ही सूख जाते है क्योंकि ऊँचाई कम होने और रिसाव के कारण सालभर पानी नहीं रहता है। गाँव में पानी का स्तर 200 फुट गहराई में चला गया है। गाँव में 16 कुएं है, जिसमे से 12 सूखे ही रहते है बाकी के 4 कुओं में गर्मी के खत्म होने तक इतना ही पानी बचता है कि पशुओ के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो जाती है। गाँव के कुओं की गहराई 100 फीट है। गाँव में 18 हैंडपंप है। जिनमें से 14 हैंडपंप सूखे ही रहते है, बाकी हैंडपंपों से पूरे साल पीने का पानी मिल जाता है। गर्मी में भू-जल स्तर इतना नीचे चला जाता है कि बोरवेल में भी पानी कम या बंद हो जाता है। सभी हैंडपंप और बोरवेल का पानी खारा फ्लोराइड युक्त है। वर्षाजल को संरक्षित करने के विषय में गाँव के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है न ही पंचायत और सरकार इस समस्या की ओर ध्यान दे रही है।

प्राकृतिक संसाधनों का विघटन

गांव में बिलानाम जमीन, पहाड़ सभी वन विभाग और सरकर के कब्जे में है। जंगल पर गाँव के लोगो ने सामुदायिक वन दावा फाइल लगा रखी है। 30-40 साल पहले छोटी बड़ी सभी पहाड़ियाँ हरी-भरी थी और उनपर घास एवं सागवान, गोंद, आवला, महुआ के पेड़ थे। अभी जंगल से चारा, लकड़ी, महुआ, ढाक के पत्ते जैसी लघुवन उपज होती है। जिसे गांव के लोग अपने उपयोग में लेते है। सागवान, महुआ के पेड़ खत्म हो गये है और जंगल में बबूल के कटीले पेड़ भी बहुतायत है। जो ना गाँव के लोग जलाने के काम में ले सकते है ना अन्य किसी काम में। जंगल की जमीन पहले की अपेक्षा कम बची है।

पहाड़ो पर सरकार का कब्ज़ा हो रखा है, पहाड़ो में फ्लोराइड की खान है जिसमे खनन होता है इसे गाँव के लोग रुकवाना चाहते है क्योंकि इससे फ्लोराइड पानी में घुल कर आ रहा है और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें हो रही है ।

आवागमन की समस्या

समोता गाँव में दो पक्की डामरीकृत सड़के है, लेकिन अंदरूनी एक सड़क टूटी हुयी है । गाँव में 4 सी.सी. सड़के है जो फलों के कुछ घरों तक जाती है । सी.सी. सड़को पर खड्डे हो गये है जिसकी वजह से दुर्घटना की आशंका रहती है । इसके अलावा गाँव के भीतर के पहाड़ियों पर बसे फलों में जाने के लिए 3 कच्ची सड़के है। गाँव के भीतरी फलों में जाने के लिए जितनी भी कच्ची सड़के है वो इतनी सकरी है कि केवल पैदल या मोटर साइकिल से जा सकते है । गाँव में दो बस स्टैंड है जहाँ से प्राइवेट बस, ऑटो दूसरे गाँवो में जाने के लिए मिल जाते है । बारिश के मौसम में मिटटी की कच्ची सड़को पर चलने वालो को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है । गाँव के बस स्टैंड से चलने वाले ऑटो और जीप चालक अपनी मनमर्जी से किराया वसूलते है और समय पर चलते भी नहीं है ।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति

गाँव में दो प्राथमिक विद्यालय है जिसमे इस शैक्षणिक वर्ष (2018) में 85 छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ है और बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 अध्यापकों को नियुक्त किया गया है । प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर हो गये है । प्राथमिक विद्यालयों में छत की मरम्मत, अध्यापकों की कमी, खेल के मैदान की बाउन्ड्री टूटी हुई है तथा शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है । अध्यापकों और कमरों की कमी के कारण सभी बच्चे एक साथ बैठ कर पढाई करते है, जिससे न केवल बच्चों की पढाई बाधित होती बल्कि ज्ञानार्जन गुणवत्ता में भी कमी आती है । विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान, हिंदी ठीक से पढ़ना भी नहीं जानते है । बच्चों के पीने के लिए साफ पानी हेतु आर.ओ. नहीं लगा है गाँव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है । अक्सर नियुक्त अध्यापक भी विद्यालय नही आते है क्योंकि उन्हें विद्यालय के अन्य कार्य भी करने पड़ते है ।

गाँव में छोटे बच्चों के अक्षर ज्ञान के लिए पठन-सामग्री के लिए एक भी आंगनवाड़ी नहीं है इस कारण गाँव के बच्चे पास की दूसरी आंगनवाड़ी में जाते है । गाँव में एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है, जहाँ स्टाफ मिल जाने पर बुखार, जुकाम, दस्त जैसी बीमारियों के लिए दवा मिल जाती है । छोटे बच्चों का वजन करके उन्हें आहार की जानकारी दी जाती है । बड़ा सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 35 किमी दूर डूंगरपुर में है। जहाँ जाने के लिए मेन रोड से निजी साधन मिल जाते है ।

कृषि एवं खाद्यान्न की स्थिति

अधिकतर कृषि जमीन पहाड़ी, उबड़-खाबड़ और पथरीली है, समतल खेती की जमीन नहीं के बराबर है गाँव में कृषि की जमीन 300.17 बीघा है । गाँव में भू-जल स्तर 200 फुट से भी नीचे चला गया है। खेती में गेंहू, मक्का, उडद, मूंग और चना उगाया जाता है । जिन कृषकों के पास सिंचाई करने के लिए बोरवेल है वे मोटर के जरिये पानी निकाल कर फसल की सिंचाई करते है । लेकिन अनाज केवल चार या पांच माह खाने तक का ही हो पाता है। फिर बाजार से या राशन की दुकान से खरीदकर लाना पड़ता है । गाँव में राशन की दुकान नहीं है, इसके लिए जोगीवाडा जाना पड़ता है । राशन की दुकान पर सरकारी आदेशानुसार जब तक घर में शौचालय नहीं बन जाता तब तक राशन नहीं दिया जाता, पॉस मशीन में

फिंगरप्रिंट ना आना या इन्टरनेट कनेक्टिविटी की भी समस्या रहती है राशन की दुकान पर गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिलता है । रामा गांव में 100 परिवारों को उज्जवला गैस कनेक्शन मिल चुका है। जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है उनका केरोसीन भी बंद कर दिया गया है । गाँव में सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिये अधिकतर जल-स्रोत में गर्मी के मौसम में पानी कम हो जाता है। *यदि वर्तमान में जो स्थिति बारिश की मात्रा और पानी को ना सहेजने की प्रवृति है वो बनी रही तो गाँव में पीने तथा कृषि के लिए पानी का बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है । खेती में अधिकं रासायनिक खाद का उपयोग और सिचाई के पानी में ज्यादा खारापन होने के कारण जमीन कठोर हो गयी है और उत्पादन घट गया है ।*

पशुपालन संबंधित समस्या

गाँव में गाय, बैल, भैंस व बकरी पालन किया जाता है । पर्याप्त मात्रा में बारिश ना होने के कारण खेतों में पशुओं के प्र्याप्त मात्रा में चारा भी नहीं उगाया जा सकता है। जो भी चारा बारिश के माह में होता है वह केवल चार या पांच माह ही चल पाता है उसके पश्चात खरीद कर लाना पडता है। पर्याप्त और पौष्टिक पशु आहार के अभाव में दूधारू पशु दूध भी कम देते है । गाय 1 लीटर और भैंस ढाई लीटर ही दूध देती है । दूधारू पशु भी अच्छी नस्ल के नही है । चारे की एक पुली या गटठर सात रूपये में खरीदते है ।

आजिविका एवं रोजगार के साधनों की कमी

अन्य गाँवो की तरह ही समोता गाँव में रोजगार की स्थिति ख़राब है, रोजगार के नाम पर मनरेगा का काम गाँव में चलता है जिसमे महिलायें ज्यादा जाती है क्योंकि पुरुष बाहर जाकर कड़िया मजदूरी करते है या डूंगरपुर शहर में आते है और गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है। कई बार शहर में काम ना मिलने पर खाली हाथ घर जाना पड़ता है । गांव के अधिकतर युवा गुजरात राज्य के अहमदाबाद, हिम्मतनगर, सूरत, मोडासा या महानगर बम्बई में मजदूरी करने के लिये जाते है। अभी मनरेगा में जो मजदूरी दी जा रही है वह भी 100 रूपये तक ही दी जाती है। कुछेक लोगों को काम करने के बाद मस्टरोल के रूपये नहीं मिले है। रोजगार के साधनों के अभाव के पीछे मुख्य कारण अच्छी तकनीकी शिक्षा नहीं मिलना और उन्नत खेती के प्रशिक्षण का अभाव है ।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	सम्भावना
जल नाला एनिकट तालाब कुआं हैण्डपम्प	गाँव में 1 बड़ा नाला है, जिस पर तीन एनिकट बने है । इसके अलावा पानी एक छोटे तालाब में इक्कट्ठा होता है, लेकिन तालाब में पानी की आवक कम होने से पानी भी कम समय के लिए ही ठहरता है । 3 एनीकट बने है, उनमे 2 एनिकट	फ्लोराइड मुक्त पेयजल के लिए गाँववाले साफ और कम फ्लोराइड वाले चालू कुएं और हैंडपंप पर 2 सार्वजनिक आर.ओ. प्लांट लगवाना चाहते है । नाले की रिन्गवाल बनाकर खेतों के बीच में पानी के लिए छोटे पक्के गड्डे बनाना ताकि

	में पानी बारिश के समय ही रहता है, क्योंकि जर्जर होने के कारण लगातार रिसाव होता रहता है । गाँव में 16 कुएं और 18 हैंडपंप है जिनमे से 12 कुएं और 14 हैंडपंप सूखे ही रहते है । जो चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है । चालू कुओं के पानी से सिंचाई और मवेशियों के पानी के लिये व्यवस्था की जाती है ।	सिंचाई के लिए पानी को रोका जा सके । तालाब को गहरा करवा कर रिंगवाल बनाई जाये और जर्जर एनीकट को मरम्मत उसकी ऊंचाई बढ़ाना । तो ज्यादा समय तक पानी रह सकता है तथा सिचाई भी पूरी हो सकती है । गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह पहाड़ जंगल	गाँव में जमीन समतल नहीं है, अधिकतर छोटी पहाड़िया, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन है। कृषि जमीन 300.17 बीघा है, बेनामी जमीन, पहाड़ पर सरकार और वन विभाग का अधिकार है। जंगल पर गाँव ने कब्ज़ा कर रखा है, पहाड़ियों पर जंगल में विलायती बबूल के पेड़ है । गांव के जंगल को अपने कब्जे में लेने के लिये सामुदायिक वन अधिकार पत्र लेने की फाइल लगायी गयी है। जंगल से थोड़ा बहुत चारा, लकड़ी, ढाक के पत्ते जैसी लघुवन उपज होती है। जिसे गांव के लोग अपने उपयोग में लेते है।	गाँवसभा प्रस्ताव में दर्ज करवाकर केटेगरी-4 में भूमि समतलीकरण अपना काम योजना के तहत करवाकर उसे अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। गाँव की जिस जमीन पर खेती नहीं होती है या जंगली घास है उसे साफ करके वृक्षारोपण रोपण करना, लघुवनोपज से आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जंगल को गाँव के अधीन लेकर बबूल को हटाकर जंगल को फिर से जीवित करना और लघुवन उपज लेना ।
सड़क कच्ची सड़क सी.सी. सड़क पक्की सड़क	गाँव में 2 पक्की सड़कों में से 1 टूटी हुई है । सी.सी. सड़के भी खराब हो गयी है उनमे खड्डे पड़ गये है । 3 कच्ची मिट्टी की सड़के है जो बारिश में फिसलन भरी और कीचड़ से लबालब हो जाती है । सड़कों के अभाव में मरीजों और गर्भवती महिलाओ को समय पर सुविधा नहीं मिल पाती है और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी होती है । पहाड़ियों पर रहने वाले भी काफी प्रभावित रहते है ।	गाँव के सभी कच्चे रास्ते चौड़े करके सी.सी. सड़क में बदले जाये और टूटी पक्की सड़क, सी.सी. सड़क को पुनः बनाया जाये तो गाँव के भीतरी इलाके में आवागमन में सुविधा होगी ।
प्राथमिक स्कूल	गाँव में 2 प्राथमिक स्कूल है । प्राथमिक स्कूल का भवन कमजोर हो गया है,	स्कूल की मरम्मत और नये कमरे बनवाना । शौचालय की भी मरम्मत करवा

	स्कूल में अध्यापकों की कमी, कमरों की कमी, बारिश में पानी टपकने की समस्या है । शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है । पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था भी नहीं है ।	कर पानी की व्यवस्था करना । स्कूल में बच्चों के पीने के पानी के लिए आर.ओ. प्लांट लगाया जा सकता है ताकि बीमारियों से मुक्त रहे । पूरे अध्यापक नियुक्त किये जाये ।
श्मशान घाट	गाँव का दो श्मशान घाट है । एक माताजी फला में और दूसरा बीडा फला में । लेकिन यह खुले में है, कोई बाउन्ड्री नही है, छाया पानी और लकड़ी के लिए कमरा की व्यवस्था नहीं है ।	श्मशान घाट पर चबूतरा, छाया के लिए टिनशेड और एक कमरा बनवाना ।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**शिक्षा सम्बंधित समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में दो प्राथमिक स्कूल है, सभी विषय के अध्यापक नही है, प्राइमरी स्कूल जर्जर हो गया है । स्कूल में खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है । पीने के शुद्ध पानी के लिए आर. ओ. नहीं लगा है । कक्षा-कक्षों की कमी है ।	गाँव सभा में प्रस्ताव लेकर अध्यापक नियुक्ति, कमरा निर्माण, शुद्ध पानी की व्यवस्था और नये शौचालय बनवाने हेतु पंचायत और शिक्षा विभाग से ज्ञापन देकर समस्या हल करना	तात्कालिक
2	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में भू-जल 200 फिट गहराई में चला गया है । गाँव में आधे से ज्यादा कुएं और हैंडपंप सूखे है और जो चालू है उनका पानी फ्लोराइड युक्त है। तालाब और एनिकट में पानी कम रुकने से पशुओ के लिए भी पानी कम हो जाता है ।	जो हैंडपंप बंद हो गये है उन्हें गहरा कर चालू करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकी फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए । गाँव में बरसात के पानी को एनिकट और तालाब में ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल	**दीर्घकालिक**

				स्तर ऊंचा किया जा सकता है। इसके लिए गाँव सभा द्वारा बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है ।	
3	**कृषि संबधी समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि उबड़ खाबड़ है। सिंचाई के लिए 3 एनिकट है जो एक नाले पर बने है और 1 तालाब है लेकिन एनिकट जर्जर होने के कारण पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है ।	अपना खेत-अपना काम योजना के अंतर्गत उबड़ खाबड़ खेतों को समतल करना, बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों में कच्चे चेकडैम और पक्के टांके का निर्माण। घर के आँगन में पानी को रोकने के लिए टाके (पक्के खड्डे) बनवाना ।	**तात्कालिक**
4	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में सड़क व्यवस्था चरमराई हुई है । पक्की और सी.सी. सड़के टूटी हुई है । कच्ची सड़के भी बारिश के समय कीचड़ से भर जाती है । राहगीरों को आने-जाने में समस्या रहती है ।	गाँवसभा बनने के बाद बैठकों में कच्ची सड़क को सी.सी. सड़क में बदलना और जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं । टूटी हुई सडको कों ठीक करवाने के लिए पंचायत में प्रस्ताव देना ।	**तात्कालिक**
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना और सामुदायिक भूमि पर अधिकार नहीं**	**सार्वजनिक**	गाँव में लोगों को उनके कब्जे की जमीन का खातेदारी हक नहीं मिला है । वर्तमान में राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में सरकारी फरमानों से जमीन जाने का खतरा है । गाँव के लोगो ने जंगल जमीन पर दावा फाइल लगाई है, लेकिन पट्टा नहीं मिल पाया है ।	कब्जे की जमीन के लिए व्यक्तिगत दावा और जंगल की जमीन के लिए सामुदायिक दावा करना और पैरवी करना कि फाइल्स कहाँ तक पहुँची है । कब्जे की जमीन की पैनल्टी कोर्ट में जमा करना और धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल	**दीर्घकालिक**

				तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	
7	**खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	राशन की दुकान जोगीवाड़ा गाँव में है वहां दूसरे गाँव से भी लोग आते है और अक्सर पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट न मिलना या इन्टरनेट से कनेक्ट न होने की समस्या आती रहती है । राशन की दुकान पर गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिलता है समोता गांव में जिन्हें उज्जवला गैस कनेक्शन नहीं मिला है, उनका भी मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया है ।	राशन की दुकान ऐसे स्थान पर हो जहाँ इन्टरनेट की समस्या ना आये । जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है उनके नाम योजना में जुड़वाने के लिए गाँव सभा में प्रस्ताव लेना । राशन सामग्री पूरी और गुणवत्ता वाली दी जाये ।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते, सी.सी. सड़क, पक्की सड़कें	गाँव में पक्की सड़के केवल गाँव में आने-जाने के लिए है । पक्की और सी.सी. सड़के टूटी हुई है । कच्ची सड़के ज्यादा नहीं है । पहाड़ियों पर केवल पगडण्डियों से ही जा सकते है ।	रास्ते अच्छे होने से बीमार लोगों को आसानी से समय रहते इलाज मिल सकता है । लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँव के लोग समस्या को लेकर दबाव नहीं बनाते है कि यह कार्य सरकार व पंचायत का है । गाँव सभा कमेटी का मजबूती से काम नहीं करना ।
जल नाला तालाब एनिकट कुआं	गाँव में 1 नाला, 1 तालाब और 3 एनिकट भी है लेकिन जर्जर और बांध की ऊंचाई कम होने से पानी की संग्रह	पहाड़ी ढलानों पर कच्चे और पक्के चेकडेम निर्माण,तालाब गहरीकरण और एनिकट के बांध की ऊंचाई बढ़ाना । पानी को	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्य योजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।

हैंड पंप	क्षमता भी कम है । गर्मी में पानी सूख जाने से संकट हो जाता है । कुओं को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं करना । जल संरक्षण के बारे में गाँव वालों में जागरूकता न होना । सरकारी योजना और मौसम पर अधिक निर्भर रहना ।	रोकने के लिए पक्की टंकी का निर्माण करवाना, जिससे अशुद्ध पीने के पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है । भू-जल को सही तरीके से संरक्षित उपयोग करना ताकी जल स्तर एकदम से नीचे न जाये ।	
रोजगार के साधन	गाँव में रोजगार के साधन खेती या नरेगा है । कृषि उत्पादन की कमी । अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव । अच्छी तकनीकी प्रशिक्षण नहीं मिलना ।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उन्नतशील बीज का अभाव । जमीन के बेहतर प्रबंधन की कमी।
जमीन	सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन के पट्टे ना होना । खेती में रासायनिक खाद और दवाओ का अधिक छिडकाव ।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। गाँव की सार्वजनिक खाली पड़ी जमीन पर फलदार वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

➢ **नजरिया नक्शा**

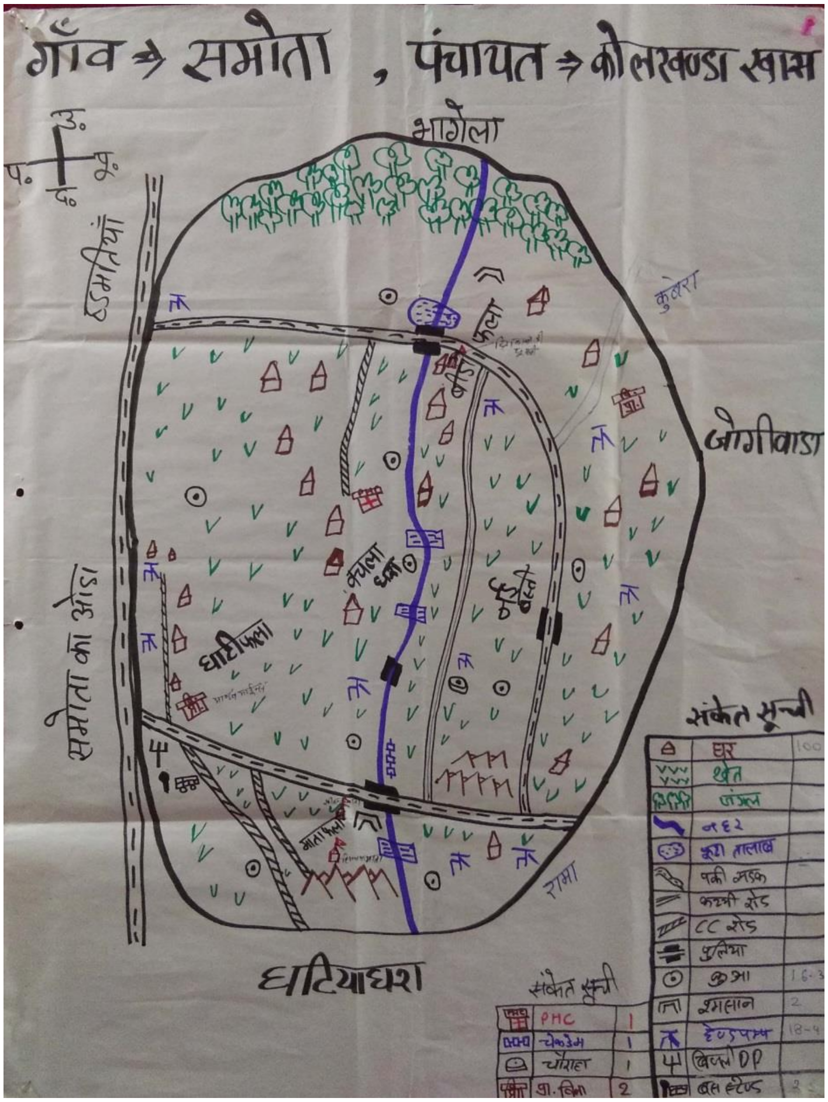

➢ **गाँवसभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -**

प्रस्तावित कार्य	संख्या
पेंशन के सम्बन्ध में	
वृद्धा पेंशन	13
विधवा पेंशन	3
विकलांग पेंशन	2
पालनहार (1-5 वर्ष= 3) (6-8 वर्ष=5)	8
पी.एम., सी.एम. आवास योजना नए निर्माण	22
बकाया राशि भुगतान के सम्बन्ध में	3

शौचालय की बकाया राशि भुगतान के सम्बन्ध में	11
स्कूल के सम्बन्ध में अध्यापक नियुक्ति, 4 नये कमरे, प्रा. वि. का पुनर्निमार्ण, आर. ओ. प्लांट लगाना	रा. प्रा. वि. समोता और नई बस्ती
आंगनवाडी भवन निर्माण (समोता फला + नई बस्ती)	2
राशन की दुकान खुलवाने के सम्बन्ध में	1
उप-स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य पूरा करवाने के सम्बन्ध में	1
सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में	1
सार्वजानिक कुआं गहरीकरण कुएं पर आर.ओ. प्लांट लगाना	2 1
सी. सी. सड़क निर्माण	6
हैंडपंप के सम्बन्ध में नए हैंडपंप हैंडपंप मरम्मत	 8 4
कच्चे चेकडैम निर्माण	21
एनिकट निर्माण व मरम्मत के सम्बन्ध में	1
तालाब गहरीकरण व रिंगवाल (अम्बेला तालाब)	1
<u>केटेगरी 4 के कार्य</u> खेत समतलीकरण, मेड़बंदी, रिंगवाल, कुआं गहरीकरण और मरम्मत एवं पशुवाडा निर्माण	21
वृक्षारोपण के सम्बन्ध में (व्यक्तिगत भूमि पर)	8
काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा लगाना	
वन भूमि पर सामुदायिक दावा लगाना	
गाँवसभा के द्वारा सामाजिक और आपसी विवाद निपटारा	
सामाजिक बुराईयों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में	

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

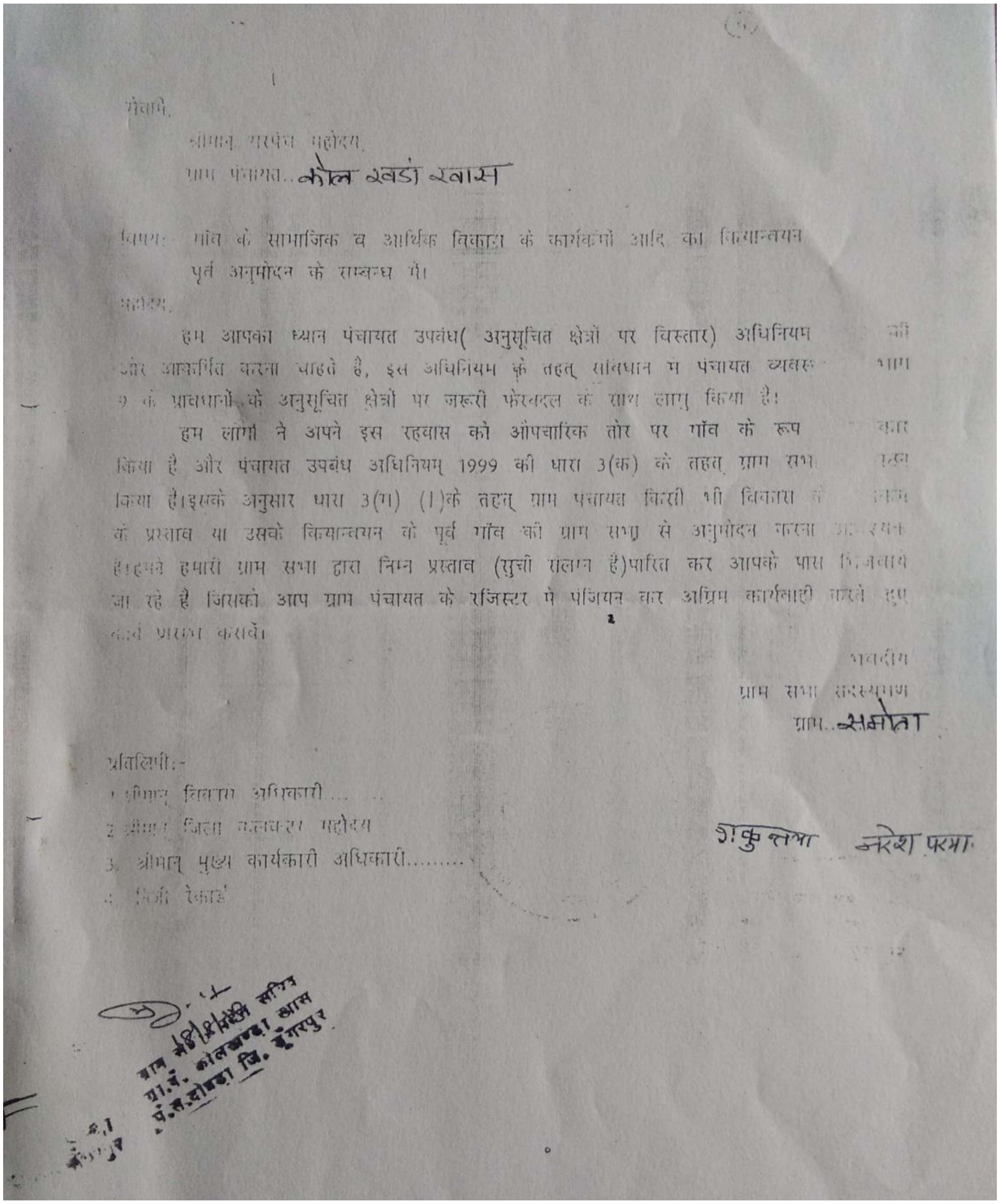

सेवामें,

श्रीमान् सरपंच महोदय,

ग्राम पंचायत..कौल खवडा खास

विषय: गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्य के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।इसमे हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न हैं)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय

ग्राम सभा सदस्यगण

ग्राम..समोता

प्रतिलिपि:-

1 श्रीमान् विकास अधिकारी.... ...

2 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय

3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........

4 निजी रेकार्ड

शकुन्तला नरेश परमा

ग्राम विकास समिति ग्रा.पं. कोलखण्डा खास पं.स.डोवडा जि. डूंगरपुर

पेसा कानून 1996, राजस्थान सरकार अधिनियम 1999 नियम 2011 के अंतर्गत आज दिनांक 25/7/18 को समोला गांव की गांव सभा बैठक का आयोजन शिलालेख के पास किया गया। गांव सभा बैठक में उपस्थित गांव वासियों ने नानजी/खातरा परमार को अध्यक्ष चुना, जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गई। गांव सभा बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गई और ~~अनुमोदन~~ उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा

1. पेन्शन के सम्बन्ध में
2. PM/CM आवास के सम्बन्ध में
3. शौचालय के सम्बन्ध में
4. स्कूल के सम्बन्ध में
5. आंगनवाड़ी के सम्बन्ध में
6. राशन की दुकान (उचित मूल्य की दुकान) के सम्बन्ध में
7. उप स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में
8. सामुदायिक भवन के सम्बन्ध में
9. सार्वजनिक कुए के सम्बन्ध में
10. रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में
11. नए हैण्डपम्प लगाने और पुराने हैण्डपम्प की मरम्मत के सम्बन्ध
12. चैकडेम (कच्चे/पक्के) निर्माण के सम्बन्ध में
13. एनिकट निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में
14. तालाब को गहरा और पाल निर्माण के सम्बन्ध में
15. (i) खेत समतलीकरण
    (ii) पशुबाड़ा निर्माण
    (iii) कुआ गहरीकरण
    (iv) मेड़बंदी
    } (केटेगरी 4 के अंतर्गत आने वाले कार्य)
16. वृक्षारोपण के सम्बन्ध में
17. वन भूमि पर गांव सभा द्वारा सामुदायिक दावा करने के सम्बन्ध में
18. काबिज भूमि पर गांव सभा द्वारा व्यक्तिगत दावा करवाने के सम्बन्ध में।
19. सामाजिक (आपसी) विवाद का निपटारा गांव सभा द्वारा करने के सम्बन्ध में
20. सामाजिक कुरीतियों पर रोक के सम्बन्ध में।

गांव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया गया।

1. अनुतला / मोतीलाल संत
2. कमलेश / नारायणलाल परमार
3. सुखाल / नारिमा परमार
4. नानजी / खातसा परमार
5. सुखलाल / अशोक परमार
6. मावजी / डागजी परमार
7. छजिया / पेमजी परमार
9. गाडू / नाथू परमार
10. मीरा / शंकर परमार
11. मंजुला / राका सेन
12. शारदा / बलेग परमार
13. लक्ष्मी / मणिलाल परमार

गांव बैठक अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित गांव वासियों को धन्यवाद देकर बैठक का समापन किया।

[signature]

ठाकुरलाल नरेश परमार (बैठक अध्यक्ष)

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)

1.	शकुन्तला	8003453067
2.	कमलेश	8290703543
3.	कान्ता	7726978196
4.	नरेश	9636965976